

दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विश्व व्यापार संगठन की कृषि संबंधी समिति

1252. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2024 के प्रथम सप्ताह में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की कृषि संबंधी समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा के लिए सामने आए मुद्दों का ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या भारत द्वारा इस बात पर जोर दिए जाने के बावजूद कि अमीर देशों द्वारा कृषि में अनसुलझे / पूर्व अधिदेशित मुद्दों जिनमें सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग का स्थायी समाधान, विशेष रक्षोपाय तंत्र और व्यापार विकृतिकारी कपास राजसहायता को समाप्त करना शामिल है, पर बातचीत की जाए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है; और

(घ) विश्व व्यापार संगठन द्वारा उपरोक्त मुद्दों को अन्य मुद्दों के साथ जोड़ने के क्या कारण हैं और यदि विकसित देश सभी मुद्दों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं तो भारत के दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क): विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की कृषि संबंधी समिति (सीओए) कृषि समझौते (एओए) के कार्यान्वयन की देखरेख करती है तथा सदस्यों को उससे संबंधित प्रश्नों और मुद्दों को उठाने तथा उनका समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इसकी पिछली बैठक 26 और 27 नवंबर, 2024 को हुई थी। हालांकि, वर्ष 2002 में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार वार्ता समिति के अंतर्गत कृषि वार्ता की एक पृथक प्रभारी वार्ता निकाय के रूप में स्थापित कृषि विशेष सत्र समिति (सीओए एसएस) की बैठक 4 और 6 दिसंबर, 2024 को सम्पन्न हुई थी।

(ख): सीओए एसएस की बैठक कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुविधाप्रदाता के नेतृत्व वाली प्रक्रिया पर आम सहमति बनाने के लिए आयोजित की गई थी ताकि कृषि वार्ताओं में सभी मामलों पर चर्चा की जा सके; कृषि वार्ता की स्थिति का जायजा लिया जा सके तथा कृषि संबंधी वस्तुओं और उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीके पर चर्चा की जा सके। इसके सदस्यों ने सुविधाप्रदाता प्रेरित प्रक्रिया के संबंध में चिंताएं जताई हैं। भारत और अन्य

विकासशील देशों के सदस्यों ने सुविधाप्रदाता प्रेरित प्रक्रिया का विरोध किया और इस बात पर जोर दिया गया कि खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (पीएसएच), विशेष रक्षोपाय तंत्र (एसएसएम) और कपास पर स्थायी समाधान (पीएस) के अधिदेशित मुद्दों पर सीओए एस एस में चर्चा एवं वार्ता की जानी चाहिए, जिसका नेतृत्व सीओए एसएस अध्यक्ष द्वारा क्रमशः वर्ष 2015 के नैरोबी मंत्रिस्तरीय निर्णय और वर्ष 2005 के हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र के अनुसार त्वरित समय-सीमा में किया जाना चाहिए। इस बात को बार बार दोहराया गया है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका लंबे समय से लंबित अधिदेशित मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करना और शेष मामलों को क्रमबद्ध तरीके से निपटान करने के लिए सदस्यों के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करना।

(ग): विश्व व्यापार संगठन एक सदस्य-संचालित संगठन है, जहां निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर होता है, अर्थात् किसी विशेष निर्णय को प्रभावी और कार्यान्वयन योग्य बनाने के लिए सभी सदस्यों को उस पर सहमत होना होता है। सीओए एसएस में अधिदेशित मुद्दों, अर्थात् खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग संबंधी स्थायी समाधान एसएसएम और कपास पर वार्ता चल रही है। भारत इन अधिदेशित मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर परिणाम की मांग करता है तथा कुछ विकसित एवं बड़े कृषि निर्यातक देशों के सदस्यों द्वारा पिछले मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में तय किए गए अधिदेशों को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध करता है।

(घ): डब्ल्यूटीओ ने उपर्युक्त अधिदेशित मुद्दों को शामिल नहीं किया है। विकसित और बड़े कृषि निर्यातक देशों के कुछ डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने अधिदेशित मुद्दों को प्राथमिकता दिए बिना सभी मुद्दों को समान मानकर कृषि वार्ता में व्यापक परिणाम की मांग की, इस प्रकार पिछले मंत्रिस्तरीय अधिदेशों को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। भारत, अन्य विकासशील देशों के साथ-साथ, जिनमें अल्प विकसित देश (एलडीसी) भी शामिल हैं, पिछले मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में तय किए गए अधिदेशों को कमजोर करने के सभी प्रयासों का दृढ़ता से विरोध करता है और कृषि वार्ताओं में परिणाम देने के लिए अनुक्रमिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है, अर्थात् अधिदेशित मुद्दों पर परिणामों को प्राथमिकता देना-खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पीएसएच, एसएसएम और कपास संबंधी पीएस, तत्पश्चात् अन्य मुद्दों पर परिणामों को प्राथमिकता देना।
